सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING)

I. प्रसारण नीति और प्रशासन

1. संघ के भीतर रेडियो और टेलीविजन से प्रसारण संबंधी समस्त मामले, जिसमें लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचनों के समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के उपयोग का विनियमन तथा किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया भी सम्मिलित है।
2. प्राइवेट भारतीय कंपनियों या भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से संबंधित विधि का प्रारंभ और क्रियान्वयन।
3. प्रसारण की मानीटरी तथा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25)।
4. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा तथा भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा से संबंधित सभी मामले, जब तक कि उन्हें प्रसार भारती को नहीं सौंपा जाता।

II. केबल दूरदर्शन नीति

5. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7)।

III. रेडियो

6. आकाशवाणी से संबंधित सभी कारबार, जिसमें घरेलू कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्रों और विदेशस्थ भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो पत्रिकाओं, प्रसारण इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान, विदेशी प्रसारण को मानीटर करने, कार्यक्रम आदान-प्रदान और प्रतिलेखन सेवा, सामुदायिक श्रवण स्कीम, आदि के अधीन राज्य सरकारों को सामुदायिक रिसीविंग सेटों के प्रदाय में समाचार सेवा समाविष्ट है।
7. संपूर्ण संघ में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों और ट्रांसमीटरों का संस्थापन और अनुरक्षण तथा प्रसारण सेवा का प्रचालन।

IV. दूरदर्शन

8. आदान-प्रदान, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रमों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी है।
9. संपूर्ण संघ में दूरदर्शन का विकास, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों और ट्रांसमीटरों का संस्थापन, अनुरक्षण और प्रचालन तथा दूरदर्शन सेवाओं का प्रचालन भी है।
10. दूरदर्शन से बाहर दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण का संवर्धन।

V. फिल्में

11. संघ सूची की प्रविष्टि 60 के अधीन विधान, अर्थात् 'प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी।
12. चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) का प्रशासन।
13. नाट्यशाला और नाट्यशालेतर फिल्में देखने के लिए फीचर तथा लघु फिल्मों का आयात।
14. फीचर और लघु, दोनों भारतीय फिल्मों का निर्यात।

15. फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित अनुदूभाषित चलचित्र फिल्म और विविध प्रकार के उपस्करों का आयात।
16. फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामले, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित विकास और संवर्धन कार्यकलाप भी हैं।
17. भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कारों की स्थापना करके तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की सहायता से अच्छे सिनेमा का संवर्धन।
18. अंतर्देशीय और विदेश में प्रचार के लिए वृत्त चित्रों और समाचार-चित्रों तथा अन्य फिल्मों और फिल्म-स्ट्रिपों का निर्माण और वितरण।
19. फिल्म तथा फिल्म से संबंधित सामग्रियों का परिरक्षण।
20. भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों का आयोजन तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में भारत की भागीदारी।
21. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत फिल्मोत्सवों का आयोजन।
22. फिल्म सोसायटी आंदोलन।

Vक. डिजिटल / ऑनलाइन मीडिया

22क. ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गए फिल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम।
22ख. ऑनलाइन प्लेटफ़ार्म पर समाचार और समसामयिक विषय-वस्तु।

VI. विज्ञापन और दृश्य प्रचार

23. भारत सरकार की ओर से विज्ञापनों का निर्माण और प्रकाशन।

VII. प्रेस

24. भारत सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों का प्रेस के माध्यम से निरूपण और निर्वचन।
25. प्रेस से संबंधित सूचना समस्याओं पर सरकार को सलाह देना, प्रेस में यथा परावर्तित लोकमत की प्रमुख प्रवृत्तियों से सरकार को अवगत कराना तथा सरकार और प्रेस के बीच संपर्क स्थापित करना।
26. सशस्त्र बलों का और उनके लिए प्रचार।
27. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 95 और 96 के प्रशासन को छोड़कर, प्रेस के साथ सरकार के संबंधों का साधारण संचालन।
28. प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) का समाचारपत्रों से संबद्ध प्रशासन।
29. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) का प्रशासन।
30. समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का वितरण।

VIII. प्रकाशन

31. देश की तथा विदेशों की आम जनता को भारत के संबंध में अद्यतन और ठीक-ठीक जानकारी कराने की दृष्टि से, अंतर्देशीय तथा विदेश प्रचार के राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों पर लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों तथा जरनलों का निर्माण, विक्रय तथा वितरण।

IX. अनुसंधान और संदर्भ

32. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना माध्यम एककों को हर उस सामग्री के संग्रहण, संकलन और तैयारी में सहायता करना जिसमें प्रकाशित कृतियों, आदि में अनुसंधान करना अंतर्ग्रस्त है।

33. मंत्रालय के सूचना माध्यम एककों के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का सार संग्रहण तैयार करना और सामयिक तथा अन्य विषयों पर मार्गदर्शन तथा पृष्ठभूमि टिप्पण तैयार करना।

X. प्रकीर्ण

34. भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार।

35. पत्रकार कल्याण निधि का प्रशासन।

36. गायक और वादक, दोनों प्रकार, के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को, नर्तक नतर्कियों को और नाटककारों को, जिन्होंने, आकाशवाणी और इस मंत्रालय के अन्य एककों की सफलता में सारभूत योगदान दिया है, या निर्धनावस्था वाले उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता।

37. एशियाई पैसिफिक प्रसारण यूनियन, राष्ट्रकुल प्रसारण एसोसिएशन और गुट-निरपेक्ष समाचार अभिकरण पूल से संबंधित सभी मामले।

38. भारतीय सूचना सेवा (समूह ‘क’ और ‘ख’) का काडर प्रबंध।

XI. संलग्न और अधीनस्थ संगठन

39. (क) आकाशवाणी;
    (ख) दूरदर्शन;
    (ग) प्रेस सूचना ब्यूरो;
    (घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय;
    (ङ) प्रकाशन प्रभाग;
    (च) भारत के समाचार-पत्र रजिस्ट्रार का कार्यालय;
    (छ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड;
    (ज) फिल्म प्रभाग;
    (झ) फिल्मोत्सव निदेशालय;
    (ञ) भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार;
    (ट) क्षेत्र प्रचार निदेशालय;
    (ठ) गीत और नाट्य प्रभाग;
    (ड) अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग;
    (ढ) फोटो प्रभाग;
    (ण) प्रधान लेखा कार्यालय;
    (त) केन्द्रीय मानीटरी सेवा।

XII. स्वायत्त संगठन

40. (क) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे;

(ख) सत्यजीत रे फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता;

(ग) भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी;

(घ) भारतीय जनसंपर्क संस्थान;

(ङ) भारतीय प्रेस परिषद;

(च) भारतीय फिल्म सोसाइटी परिसंघ।

XIII. पब्लिक सेक्टर उपक्रम

41. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड।

42. प्रसारण इंजीनियर्स परामर्शी (भारत) लिमिटेड।